

कार्यालय आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर

// विज्ञप्ति //

विज्ञापन शाखा

क्रमांक-08/22/2/10/विज्ञापन शाखा/2022/78

दिनांक-15/06/22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि ऐसे नगर निगम ग्वालियर सीमा अन्तर्गत निजी भवन/भूमि स्वामी एवं विज्ञापन एजेन्सियों के द्वारा होर्डिंग स्ट्रैक्चर/यूनीपोल/फलैक्स इत्यादि द्वारा विज्ञापन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है जिसमें तेज हवाये/आंधी/बारिश के कारण कोई दुर्घटना न हो इस बावत् समस्त भूमि/भवन स्वामी, विज्ञापनकर्ता एजेन्सी जिन के भवन पर लोहे के स्ट्रैक्चर/अन्य प्रकार के स्ट्रैक्चर के माध्यम से होर्डिंग/भूमि पर यूनीपोल लगा कर विज्ञापन किया जा रहा है वे स्ट्रैक्चरों का संधारण कार्य आवश्यक रूप से करा कर विज्ञापन शाखा को सूचित कराना सुनिश्चित करें। यदि आपदा में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती तो निजी भवन/भूमि स्वामी एवं विज्ञापनकर्ता एजेन्सियों की जबाबदेही होगी।

आज्ञा से

उपायुक्त
विज्ञापन शाखा
नगर निगम, ग्वालियर

उपायुक्त

विज्ञापन शाखा
नगर निगम, ग्वालियर